

संख्याक-13

(साक्षी को सम्मन(आदेश 16 के नियम 1 और 5)

अजा.....मुकाम.....
.....विरुद्ध.....

दावा बाबत.....

प्र.सं.

सन

प्रेषिति.....पुत्र श्री.....
निवासी.....तहसील.....जिला.....राज०

उक्त वाद में.....की और से आपकी हाजरी.....
.....के लिए अपेक्षित है | आपसे अपेक्षा की जाती है की आज दि०.....
को..... बजे पूर्वाह्न इस न्यायालय के समक्ष (स्वयं) उपसंजात हो, और अपने साथ.....
लायें | या इस.....न्यायालय को आपकी यात्रा और खर्चों के और उस दिन
निर्वाह भत्ते के रूप में.....रुपये की राशि इसके साथ भेजी जाती है |यदि आप इस
आवेदन का अनुपालन करने में विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना असफल रहेंगे तो आपको गैर-हाजरी के वे
परिणाम भोगने होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 के नियम 12 में अधिनाधिक है।

यह आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

न्यायाधीश

सूचना-

1. यदि आपको केवल दस्तावेज पेश करने के लिए, न कि साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया है और आप वह दस्तावेज पूर्वास दिन और इस समय न्यायालय में पेश करवा देते हैं तो यह समझा जाएगा की आपने सम्मन का अनुपालना कर दी है |
2. यदि आपको पूर्वाबिल दिन के पश्चात भी रोक दिया जाता है तो विनिर्दिष्ट दिन के पश्चात की प्रतिदिन की हाजरी के लिए आपको रूपये की राशि निविद्धित की जायेगी |